कृषि उपज विपणन समिति

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

नई अनाज मंडी, नरेला, दिल्ली - 110040

फोन नं. 27282339,27285352,27282550 **टेलिफेक्स नं.** 27284089

RIGHT TO INFORMATION

सं:-6/32/2021/APMC/NRL/CT– 1170 दिनांक :- 26.10.23

निविदा सूचना

कृषि उपज विपणन समिति, नरेला द्वारा नई अनाज मंडी , नरेला मे ठेकेदारों से लाईसेन्स शुल्क आधार पर कैन्टीन चलाने के लिए मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है | आवेदन पत्र,शर्ते व नियम विपणन समिति, नरेला के कार्यालय से रु.500.00का नगद भुगतान करके किसी भी कार्य दिवस को (बुधवार कार्यालय साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर) प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्राप्त किए जा सकते है तथा निविदा दिनांक04.11.23को दोपहर 2:00बजे तक जमा करानी होगी जो की उसी दिन दोपहर बाद3:00बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जायगी | समिति के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा समस्त निविदाओ को रद्ध करने का अधिकार सुरक्षित है |

सहायक सचिव
(रख रखाव शाखा)

प्रतिलिपि: -

1. नोटिस बोर्ड , ए.पी.एम.सी नरेला
2. नोटिस बोर्ड, अन्य सभी समिति कार्यालय
3. वेबसाईट ए.पी.एम.सी नरेला एवं परिषद कार्यालय

कीमत 500/-रु
रसीद स. ....
दिनांक ....

कृषि उपज विपणन समिति, नरेला , दिल्ली- 110040

-: निविदा आवेदन पत्र :-

सेवा मे

सचिव
कृषि उपज विपणन समिति
नरेला , दिल्ली- 110040

विषय:- **नई अनाज मंडी नरेला मे कैन्टीन का टेन्डर हेतु |**

महोदय ,

उपरोक्त विषय संबधी दिल्ली सरकार / नरेला मंडी की वेबसाइट पर दी गई निविदा सूचना के आधार पर नई अनाज मंडी नरेला मे कैन्टीन चलाने के लिए खाने योग्य वस्तुओ, ठंडा पेय, चाय तथा कैन्टीन मे विक्रय की जाने वाली वस्तुओ को प्रोफ़ार्मे/ सूची मे दी गई दरों पर विक्रय करने के लिए मै अपना टेन्डर फार्म भर कर दे रहा हू |

मैने कैन्टीन चलाने के लिए टेन्डर मे दी गई सभी शर्ते व नियमों का अध्ययन कर लिया है| मुझे टेन्डर मे दी गई शर्ते एवं नियम स्वीकार है |

मै नई अनाज मंडी नरेला की कैन्टीन को लाईसेन्स शुल्क आधार पर चलाने के लिए कृषि उपज विपणन समिति, नरेला को अधिक से अधिक रुपया .... प्रतिमाह (बी व सी ब्लॉक के बीच बनी कैन्टीन के लिए) तथा रु. .... प्रतिमाह (गेट न. 4 पर बनी कैन्टीन के लिए) लाईसेन्स शुल्क के रूप मे दूंगा |

मै धरोहर राशि रु. .... /- बैंक .... ड्राफ्ट न. .... दिनांक .... के द्वारा समिति के टेन्डर फार्म के साथ दे रहा हू |

भवदीय

निविदा दाता के हस्ताक्षर

एजेंसी का नाम

पत्र व्यवहार एवं घर का पता
....
....
....

दिनांक:-

कृषि उपज विपणन समिति

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

नई अनाज मंडी, नरेला, दिल्ली - 110040

फोन नं. 27282339,27285352,27282550 टेलिफेक्स नं. 27284089

RIGHT TO INFORMATION

सं:-

दिनांक :-

नरेला में कैंटीन का ठेका देने के लिए नियम व शर्तेः-

1. विपणन समिति नरेला की बी व सी ब्लॉक के बीच बनी कैंटीन जिसका एरिया 17.72 स्केवयर मीटर (3.53 मीटर x 5.02 मीटर) है तथा गेट नं 4 पर बनी कँटीन जिसका एरिया लगभग 191 स्केवयर फीट है, को लाईसेंस आधार पर 12 महीने के लिए टैण्डरदाता को दी जाएगी और CPWD नियमावली के अनुसार बी व सी ब्लॉक के बीच बनी कैंटीन का न्यूनतम मासिक लाईसेंस शुल्क 4200 एवं गेट नं 4 पर बनी कैंटीन का न्यूनतम मासिक लाईसेंस शुल्क रू. 4516 है। दोनो कँटीन इससे अधिक राशि पर मासिक लाईसेंस शुल्क आधार पर दी जाएगी।
2. कैंटीन में उपयोग होने वाला फर्नीचर ठेकेदार का अपना होगा। कैंटीन में लगने वाला फर्नीचर साफ-सुथरा व मजबूत होना चाहिए।
3. टैण्डरदाता के पास एम.सी. डी. या किसी अन्य सरकारी विभाग से टी स्टॉलव स्नैक्स / ढाबा / कैंटीन चलाने हेतु रजिस्टर्ड या वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है तथा सरकार को सभी प्रकार के टैक्स देय होंगे।
4. टैण्डर दाता को दी गई शर्तों के अनुसार एग्रीमेंट भर कर देना होगा ।
5. टैण्डर दाता को स्वास्थ्य विभागों द्वारा खाद्य सुरक्षा संबंधी जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी नियमों का पालन करना होगा।
6. टैण्डर दाता को समिति द्वारा निर्धारित दरों (संलग्न) के आधार पर कैंटीन में सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की दरों पर आधारित लाईसेंस शुल्क की दर प्रतिमाह के हिसाब से आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।
7. समिति बिना कारण बताए टैण्डर को रद्द कर सकती है।
8. टैण्डर स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा तीन माह का लाईसेंस शुल्क या रू. 25,000/- जो भी राशि अधिक होगी वह जमानत के रूप में "कृषि उपज विपणन समिति, नरेला, दिल्ली-40" में कैश / ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी जो कि टैण्डर समाप्त होने की तिथि के एक महीने बाद समिति द्वारा दिए गए सभी सामान / राशि जमा कराने व कैंटीन में हुई टूट-फूट आदि को ठीक करवाने पर वापिस किया जाएगा।

9. टैण्डर दाता को खाने की वस्तुओं तथा स्नैक्स तथा ठण्डे पेय इत्यादि की पुर्ति उत्तम गुणवत्ता में करनी होगी । टैण्डर दाता को सूची में दिए गए वजन / वस्तुओं की दरों / गुणवत्ता को विक्रय करते समय विशेष ध्यान में रखना होगा।
10. प्रत्येक टैण्डरदाता को टैण्डर के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 5,000/- बैंक ड्राफ्ट कृषि उपज विपणन समिति, नरेला, दिल्ली-40" के नाम या कैश जमा कराना होगा जिसे स्वीकृत टैण्डर की अवधि से पहले या बाद में वापिस किया जाएगा।
11. विपणन समिति नरेला के सभी अधिकार सचिव महोदय द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जायेंगे।
12. कैंटीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य सभी सुविधाएं टैण्डर दाता को देनी होगी ।
13. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ठेके में दी गई अवधि आगामी 12 माह के लिए लाईसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने पर बढ़ाई जा सकती है।
14. कैंटीन द्वारा सभी सामान/वस्तु समिति द्वारा निर्धारित दरों पर विक्रय की जायेंगी।
15. विपणन समिति विशेष परिस्थितियों में और जनहित को देखते हुए नियम व शर्तों के संशोधन पर विचार-विमर्श कर सकती है।
16. ठेकेदार द्वारा प्रयोग में लाई गई बिजली व पानी का बिल ठेकेदार को स्वयं देना होगा तथा पानी की आपूर्ति समिति करेगी।
17. टैण्डरदाता कैंटीन में केवल सूची में दी गई वस्तुओं को विक्रय कर सकता है और निश्चित की गई राशि से अधिक वसूल नहीं कर सकता। इसका उल्लंघन पाए जाने पर टैण्डर दाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
18. कैंटीन में बीड़ी, सिगरेट व नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं की जाएगी।
19. यदि टैण्डर दाता द्वारा अनियमितता की जाती है या स्वीकृत दरों से अधिक राशि उपभोक्ता से वसूल की जाती है या वस्तुओं की गुणवत्ता / वजन में कमी पाई जाती है या उपरोक्त दी गई शर्तों व नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो समिति टैण्डर दाता की जमानत का पूर्ण अथवा कुछ भाग अथवा टैण्डर रद्द या दोनों कर सकती है।
20. कृषि उपज विपणन समिति, नरेला के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खाने-पीने की वस्तुओं का नमूना किसी भी समय ले सकती है।
21. जो कर्मी ठेकेदार द्वारा कैंटीन में रखा जाएगा उसके वेतन का भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं करेगा और श्रम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
22. कैंटीन ठेकेदार द्वारा कैंटीन में उचित मात्रा में अग्नि शमन यन्त्र लगाए जाएंगे।
23. कैंटीन ठेकेदार कॅंटीन के आस-पास अनधिकृत वाहन नहीं खड़े होने देगा तथा कैंटीन के आस-पास स्वास्थ्य वर्धक वातावरण बनाए रखेगा।

24. कैंटीन ठेकेदार कैंटीन क्षेत्र तथा जहाँ पर कैंटीन आवंटन की गई है, वहीं पर कार्य करेगा व अन्य किसी स्थान पर व्यवसायिक कार्य करना वर्जित होगा।

25. कैन्टीन ठेकेदार अपने व्यवसाय से संबधित सभी नियमों का पालन करने के लिए उतरदायी होगा ।

26. संबधित फर्म को कैन्टीन का कार्ये करने का कम से कम एक साल का अनुभव पत्र साथ मे देना होगा ।

टैण्डर दाता के हस्ताक्षर

एजेंसी का नाम व पता...

....

....

दूरभाष न. ....

पत्र व्यवहार एवं घर का पता

....

....

....

दिनांक:-

सलंगन:-
1. आधार कार्ड न.
2. पेन कार्ड न.
3. FSSAI लाइसेन्स न.
4. अन्य कागजात

खाद्य वस्तुओं / ठंडा पेय / चाय तथा कैंटीन में विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की सूची :-

क्र.सं.	वस्तु का नाम	टैण्डरदाता द्वारा दी जाने वाली दरें (रुपये में)
क	खाने वाली वस्तुओं	
1.	साधारण दाल एक प्लेट, 200 ग्राम	20.00
2.	साधारण दाल आधा प्लेट, 100 ग्राम	12.00
3.	दाल फ्राई एक प्लेट, 200 ग्राम	25.00
4.	दाल फ्राई आधा प्लेट, 100 ग्राम	15.00
5.	चपाती/ रोटी, 50 ग्राम	4.00
6.	मिस्सी रोटी 60 ग्राम	13.00
7.	सब्जी तरकारी / सुखी एक प्लेट(किसी भी प्रकार की) 200 ग्राम	25.00
8.	सब्जी तरकारी / सुखी आधा प्लेट, 100 ग्राम	15.00
9.	रायता एक प्लेट, 200 ग्राम	12.00
10.	चावल एक प्लेट, 200 ग्राम	20.00
11.	चावल आधा प्लेट, 100 ग्राम	12.00
12.	दही एक प्लेट, 200 ग्राम	20.00
13	थाली 5 रोटी, एक सब्जी, 1 दाल	30.00
14	थाली 5 रोटी, एक सब्जी, 1 दाल, चावल	40.00
ख	स्नैक्स	
1.	चाय प्रति कप, 150 आम .एल.	10.00
2.	कॉफी प्रति कप, 150 आम .एल.	15.00
3.	लड्डू बेसन प्रति पीस, 40 ग्राम	8.00
4	बर्फी मावा प्रति पीस, 30 ग्राम	10.00
5.	मट्ठी प्रति पीस, 30 ग्राम	8.00
6.	समोसा चटनी सहित एक पीस, 60 ग्राम	12.00
7.	ब्रेड पकोड़ा चटनी सहित एक पीस, 80 ग्राम	15.00
8.	6 पूरी आलू सब्जी	20.00
9.	कचौरी सब्जी के साथ, 150 ग्राम	15.00
10.	.बिस्कुट पैकट आम. आर . पी रेट पर	MRP
ग	ठन्डे पेय	
1.	कैम्पा / थम्सअप / लिम्का / कोका कोला / गोल्ड स्पॉट, आम. आर. पी. रेट पर	MRP
2.	रसीका, 200 ग्राम	MRP
3.	दही लस्सी छोटा गिलास, 100 ग्राम दही	15.00
4.	दही लस्सी बड़ा गिलास, 200 ग्राम	25.00

टैण्डरदाता के हस्ताक्षर
नाम व पता